आवश्यक

संख्या: 46/2016/ 3334/12-2-2016-बजट.5/2012 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2016

विषय: रबी 2016-17 में प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं में वितरित किए जाने वाले संकर बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0/1548-टी/डीबीटी/सं0 बी0वि0/2016-17 दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या: 34/2016/2408/12-2-2016-बजट.5/2012 टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी 2016-17 में प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं में वितरित किए जाने वाले संकर बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में स्थानान्तरित किए जाने हेतु संकर मक्का के बीज वितरण की निर्धारित तिथि दिनांक 30 नवम्बर, 2016 से बढाकर दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 46/2016/3334 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग/वित्त विभाग तथा नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0/इफको तथा कृभको, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम/उत्तराखण्ड तराई बीज विकास निगम, पन्तनगर, पो0- हल्द्वी, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त परियोजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
16. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।